ACM आमेर जि. जयपुर

फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम अन्य सरकार

न्यायालय

संख्या 85/25 TR

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। इन्तजार अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 18/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	18/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी 1 ता 5 अनुपस्थित आए। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस दिनांक 28/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	28/8/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम धौनाड मय दौलतपुरा के ख.नं. 475 व 475/783 रकबा 0.35 हैक्टेयर में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया। [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible] हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 85/2025 | प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 07.07.2025

बाबूलाल पुत्र स्व. श्री झूथा, आयु 29 चर्ष, जाति जाट, निवासी बैनाड दौलतपुरा, नांगल सिरस, खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. ओम प्रकाश, श्री गोविंदराम के पुत्र
2. कैलाश पुत्र श्री गोविंदराम
3. ग्यारसी देवी पत्नी श्री गोविंदराम
4. रामजीलाल पुत्र श्री ईशरा
5. श्रवण कुमार पुत्र श्री गोविंदराम
   समस्त निवासीयान बैनाड दौलतपुरा, नांगल सिरस, खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
6. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

....अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 28.08.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी भूमि नया खाता संख्या 152 पुराना खाता संख्या 139 के खसरा नंबर 475 रकबा 1.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 476 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 478 रकबा 2.5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 479 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान) में स्थित है, जो प्रार्थी व उसके सह खातेदारों की संयुक्त कब्जे काश्त की शामलाती आराजी भूमि है। अप्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा नंबर 475/783 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान) स्थित है, के लगता ही प्रार्थी के हिस्से की आराजी भूमि खसरा नंबर 475 रकबा 1.0600 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी भूमि का बिना कोई सीमाज्ञान करवाये ही प्रार्थी के कब्जे काश्त के खातेदारी की खसरा नंबर 475 रकबा 1.0600 हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर, अपनी भूमि में मिलाना चाहते है तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रार्थी को उक्त आशय की पूर्णतः जानकारी होने के उपरान्त दिनांक 31.06.2025 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर इस संबंध में औलमा दिया

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:17 IST
Reason: Self Attested

तो अप्रार्थीगण, प्रार्थी पर आग बबुला हो गये तथा प्रार्थी को धमकाया कि अभी तो अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास ही किया है, धीरे धीरे प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 475 पर पूर्णरूपेण कब्जा करके ही रहेगे, प्रार्थी को जो करना है, वह कर लेवे। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का मुश्तहक व अधिकारी है कि अप्रार्थीगण अपनी संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है, वरना अप्रार्थीगण अपनी कुटिल चाल में सफल हो जावेगा तथा अवैध रूप से बाला बाला प्रार्थी की आराजी भूमि पर काबिज हो जावेगे जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना कदापि संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा के संतुलन का बिन्दु उपरोक्तानुसार प्रार्थी के पक्ष में बखूबी रूप से साबित व प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता फैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे आराजी भूमि खसरा नंबर 475/783 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान) जिसके लगवा प्रार्थी की आराजी भूमि खसरा नंबर 475 रकबा 1.0600 हैक्टेयर वाके ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान) स्थित है, में बिना किसी सीमाज्ञान के अनाधिकृत रूप से कब्जा करके अपनी भूमि में ना मिलावे तथा प्रार्थी को उसके उक्त खसरा नंबर की भूमि से किसी प्रकार की छेडछाड ना करें व ना ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करें, ना ही उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें ऐसा कोई कृत्य ना तो स्वयं करें व ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावे तथा जब तक सीमाज्ञान ना हो जावे तब तक प्रार्थी के खसरा नंबर 475 व अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 475/783 के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे। यह कि अन्य अनुतोष जो प्रकरण की परिस्थितियों में माननीय न्यायालय प्रार्थी के हित में न्यायोचित समझे दिलवाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिनके बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:17 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली, दस्तावेजात् व एकपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थी ने जाहिर किया है अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
... जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 85/2025
वउनवानी – बाबूलाल बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक :– 28.08.2025

अनाधिकृत रूप से कब्जा कर, प्रार्थी की भूमि अपनी भूमि में मिलाना चाहते है तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

उक्त के संबंध में उल्लेखनिय है कि प्रार्थी एवं उसके सहखातेदार उपरोक्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जोकि प्रस्तुत जमाबदी से साबित है इसलिए प्रथम केस प्रार्थी के पक्ष मे साबित है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ का विवाद है। यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की आराजी में कब्जा, आदि करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है अतः वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा पटवार हल्का नांगल सिरस भूअ. खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर के खसरा नम्बर 475/783 रकबा 0.35 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 475 में मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे। सीमा पर विवाद नहीं करें। प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:17 IST
Reason: SelfAttested